THE REMEDY PROJECT

THE FREEDOM FUND

चीजों को ठीक करना:

टैरिफ एक्ट 1930 के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी का निवारण

प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश

25 अप्रैल 2023

आभार

यह शोध रि पोर्ट द रेमेडी प्रोजेक्ट ने फ्रीडम फंड के उदार सहयोग से तैयार की गयी है। रि पोर्ट के लि ए केस स्टडीज के वि कास में सलाहकारों अन्ना शेर, डायना नोवोआ, लि वा श्रीधरन, मुसा न्कुना, नान्चानोक वोंग्सामुथ और प्रमोद आचार्य का सहयोग रहा है।

लेखक इस रि पोर्ट के लि ए गुमनाम आधार पर साक्षात्कार देने को सहमत हुए 53 कार्मि कों व अधि कार धारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन नागरि क समूहों, वि शेषज्ञों और अन्य भागीदारों को भी धन्यवाद प्रेषि त करते हैं, जि नका इस रि पोर्ट के लि ए साक्षात्कार कि या गया।

अस्वीकरण

यह रि पोर्ट कि सी कंपनी द्वारा या व्यक्ति गत रूप से कि सी के द्वारा बंधुआ मजदूरी कराने या कि सी प्रकार के कानूनी या मानवाधि कार उल्लंघन कि ये जाने को चि ह्नि त या आरोपि त नहीं करती है। न ही यह कि सी भी मामले में अमेरि की सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा वि भाग के नि ष्कर्षों की पुष्टि या समर्थन करना चाहती है। इस रि पोर्ट में व्यक्त वि चार लेखकों के हैं और वे फ्रीडम फंड या/और इस रि पोर्ट के कि सी अंशदाता के वि चारों को नि श्चि त रूप से प्रदर्शि त नहीं करते हैं।

1. परि चय

1.1 फ्रीडम फंड के सहयोग से रेमेडी प्रोजेक्ट ने 1930 के यूएस टैरि फ एक्ट के तहत बंधुआ मजदूरी का उपयोग करके बनाए गए सामानों पर 'आयात प्रति बंध' और बंधुआ मजदूरी की स्थि ति में मजूदरों व अन्य अधि कार धारकों की मदद के प्रावधानों के बीच संबंधों को समझने के लि ए एक वैश्वि क अध्ययन कि या है। यह दस्तावेज उस अध्ययन के प्रमुख नि ष्कर्षों और सि फारि शों का सार प्रस्तुत करता है। पूरी अध्ययन रि पोर्ट यहाँ से प्राप्त की जा सकती है।

1.2 1930 का यूएस टैरि फ एक्ट अमेरि की सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा वि भाग को बंधुआ मजदूरी से बने सामान पर पूरी तरह या आंशि क रूप से आयात पाबंदी की शक्ति प्रदान करता है। टैरि फ एक्ट के अंतर्गत आयात पाबंदी इस समय कंपनि यों को अपनी सप्लाई चेन में बंधुआ मजदूरी के प्रति जवाबदेह बनाने का सबसे मजबूत कानूनी शस्त्र है। उनके पास बंधुआ मजदूरों का उत्पीड़न करने वालों पर सीधा आर्थि क दंड लगाने और इस उत्पीड़न से होने वाले लाभ को समाप्त करने की क्षमता है। आयात प्रति बंध से कंपनि यों पर प्रभावी वाणि ज्यि क दबाव बन सकता है, ताकि वे अपनी स्पालई चेन को बंधुआ मजदूरी जैसी समस्या से मुक्त करें या फि र मूल्यवान अमेरि की आयात बाजार खो देने के खतरे का सामना करें।

1.3 आयात प्रति बंधों का एक शक्ति शाली नि वारक प्रभाव भी हो सकता है। आयात प्रति बंध के महत्वपूर्ण वाणि ज्यि क प्रभाव को देखते हुए बंधुआ मजदूरी और मानवाधि कार से जुड़े खतरे अब तमाम उद्योगों के प्रबंधन की बैठकों तक पहुंच गए हैं। आयात प्रति बंध का डर या खतरा कंपनि यों और उद्योगों को अपनी सप्लाई चेन में ऐसे सूचकांकों की पहचान के लि ए सक्रि य कर सकते हैं और उन्हें ऐसी समस्याओं के समाधान के लि ए एक प्रक्रि याजनि त पहल के लि ए वि वश कर सकते हैं।

1.4 पि छले कुछ वर्षों में बंधुआ मजदूरी जनि त आयात प्रति बंधों ने कॉरपोरेट और सरकार के व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सफलता पाई है। फि र भी आयात प्रति बंधों और बंधुआ मजदूरी कर रहे लोगों की स्थि ति यों में सुधार के उपायों में संबंध कम स्पष्ट हैं। आयात प्रति बंध आज भी बंधुआ मजदूरी की स्थि ति में मजदूरों और अन्य अधि कार रखने वालों की स्थि ति यों में सुधार के एक औजार की जगह सि र्फ दंडात्मक उपाय के रूप में ही देखे जा रहे हैं। वास्तव में टैरि फ एक्ट खुद भी उपाय या उपचार का जि क्र नहीं करता है, कि न्तु इसका यह मतलब नहीं है कि टैरि फ एक्ट के अंतर्गत आयात प्रति बंध सुधार के रास्ते नहीं खोलते या नहीं खोल सकते।

1.5 नौ अलग अलग केस स्टडीज के माध्यम से यह रि पोर्ट यह समझने का प्रयास करती है कि टैरि फ अधि नि यम 1930 के तहत आयात प्रति बंध कि स हद तक बंधुआ मजदूरी की स्थि ति में मजदूरों व अन्य अधि कारधारकों की स्थि ति में सुधार करने में सफल हुए हैं। यह रि पोर्ट सुधार के तरीकों का परीक्षण करती है, श्रमि कों व अधि कारधारकों पर उनके प्रभाव का आंकलन करती है और उन कारकों की पहचान करती है जो बंधुआ मजदूरी की स्थि ति में श्रमि कों और अन्य अधि कार धारकों के लि ए उपाय सुरक्षि त करने के लि ए आयात प्रति बंधों की प्रभावशीलता का समर्थन करते हैं या कम करते हैं।

---

1 19 USC Ch.4

2 This report uses the commonly used term 'import ban' to describe the enforcement mechanism under s.307 of the Tariff Act 1930. An 'import ban' is a form of quantitative restriction which prohibits goods of a specific origin or type from entering a market. See: European Parliament (2022) *Trade-related policy options of a ban on forced labour products*, page 10, and World Trade Organization, *Quantitative Restrictions*

3 Under the Tariff Act, forced labour is defined *"as work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty for its nonperformance and for which the worker does not offer himself voluntarily"*, and includes forced or indentured child labour. See: 19 CFR § 12.42(f)

1. परि चय

व्याख्या: टैरि फ अधि नि यम 'आयात प्रति बंध' तंत्र

टैरि फ एक्ट की धारा 307 कहती है: 'दोषी श्रम या/और जबरन श्रम या/और दंडात्मक प्रति बंधों के तहत अनुबंधि त श्रम द्वारा कि सी भी वि देशी देश में उत्पादि त या नि र्मि त सभी सामान या उनके हि स्से अमेरि का के कि सी भी बंदरगाह पर प्रवेश के हकदार नहीं होंगे। उनका आयात प्रति बंधि त है...'

इस नि यम का पालन करने के लि ए अमेरि का की केंद्रीय एजेंसी सीबीपी को जि म्मा सौंपा गया है। सीबीपी कि सी शि कायत के आधार पर या स्वयं पहल कर अपने अधि कारों का प्रयोग कर सकती है।

टैरि फ एक्ट के अंतर्गत द्वि स्तरीय प्रवर्तन तंत्र काम करता है। पहले स्तर पर सीबीपी कोई शि कायत आने पर या अपनी पहल पर जांच की शुरुआत करेगी। उस जांच पर आगे बढ़ते हुए यदि सीबीपी को पता चलता है कि टैरि फ अधि नि यम की धारा 307 के अंतर्गत आने वाले सामान का प्रवेश अमेरि का में हो रहा है या उनका आयात कि या जा रहा है तो सीबीपी उस सामान की नि कासी पर प्रति बंध के लि ए 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' जारी करेगा। 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' अपने नाम के अनुरूप इस आदेश में बताए गए सामान को अमेरि की बंदरगाहों से अमेरि का में प्रवेश से रोकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' सामानों को बंदरगाहों के माध्यम से अमेरि की बाजारों में प्रवेश से रोकता है। इस सामान के आयातक, चाहें तो इसे दूसरे स्थानों तक पुन: आयात कर सकते हैं।

दूसरे स्तर पर सीबीपी धारा 307 के तहत सवालों के घेरे में सामान के बारे में वि त्त सचि व की अनुशंसा से एक सूचना प्रकाशि त करेगा। इस सूचना के घेरे में आए सामान का कि सी भी अमेरि की बंदरगाह में प्रवेश नि षि द्ध हो जाएगा, अमेरि का में उनका आयात प्रति बंधि त हो जाएगा और अमेरि की बंदरागों में ऐसे सामान को जब्त कि या जा सकेगा। अधि कांश मामलों में सीबीपी सूचना प्रकाशि त नहीं करता है। फरवरी 2023 तक 53 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' जारी कि ये गए थे, कि न्तु सि र्फ नौ सूचनाएं प्रकाशि त हुई थीं।

सीबीपी के पास ऐसे आयातकों पर अर्थदंड लगाने के अधि कार हैं जो 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' या सूचना प्रकाशन में शामि ल होने के बावजूद नि यमवि रुद्ध सामग्री अमेरि का में लाते हैं या लाने की कोशि श करते है। दि संबर 2022 तक सीबीपी ने 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' या सूचना प्रकाशन में शामि ल सामान का आयात करने वाले सि र्फ एक आयातक के खि लाफ अर्थदंड लगाया है।

4 19 USC 4 §1307
5 19 CFR § 12.42
6 19 CFR § 12.42(a) and (b)
7 19 CFR § 12.42(e)
8 19 CFR § 12.42(e)
9 19 CFR § 12.42(f)
10 19 CFR § 12.42(f); 19 CFR § 12.42(f)
11 CBP, *Withhold Release Orders and Findings List*
12 CBP (13 August 2022) *CBP Collects $575,000 from Pure Circle U.S.A. for Stevia Imports Made with Forced Labor*

1. परि चय

‘उपाय तक पहुंच' बनाम 'उपचार’

‘उपाय’ या ‘उपाय तक पहुंच’ क्या है?

व्यापार और मानव अधि कारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सि द्धांतों के अंतर्गत 'उपाय' उन लोगों के लि ए ठोस उपचार के प्रावधान को संदर्भि त करता है जि नके मानवाधि कारों का उल्लंघन कि या गया है ताकि उस नुकसान को ठीक करने में मदद मि ल सके।

यह दोनों को संदर्भि त करता है: (अ) प्रति कूल मानवाधि कार प्रभाव के लि ए उपचार प्रदान करने की प्रक्रि याएँऔर (ब) मूल परि णाम जो प्रति कूल प्रभाव का प्रति कार कर सकते हैं या अच्छा बना सकते हैं। ये परि णाम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे माफी, बहाली, पुनर्वा स, वि त्तीय या गैर-वि त्तीय मुआवजा, और दंडात्मक प्रति बंध (चाहे आपराधि क या प्रशासनि क, जैसे जुर्मा ना), साथ ही नि षेधाज्ञा या दोबारा ऐसा न होने की गारंटी के साथ नुकसान की रोकथाम करना।

टैरि फ एक्ट 1930 के तहत उपचार

'उपचार' भी सीबीपी द्वारा टैरि फ अधि नि यम की धारा 307 के तहत आयात प्रति बंध को 'उठाने' के बारे में नि र्णय लेने के संदर्भ में उपयोग कि या जाने वाला एक शब्द है। इस संदर्भ में प्रयोग करते समय, इसका अर्थ ऊपर लि खी संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सि द्धांतों की परि भाषा से अलग है।

सीबीपी 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' या सूचना प्रकाशन सि र्फ दो तरीकों, संशोधन और रद्द करके हटा सकता है। संसोधन 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' या सूचना प्रकाशन का आंशि क या पूर्ण नि लंबन होता है, वहीं रद्द करना 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' या सूचना प्रकाशन को पूरी तरह हटा लेना होता है।

अपने नि र्देश दस्तावेजों में सीबीपी का कहना है कि वह 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' को तब तक संशोधि त या रद्द नहीं कि या जाएगा, जब तक बंधुआ मजदूरी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। फि रभी, ये नि र्देश दस्तावेज वि शेष रूप से उपचार को परि भाषि त नहीं करते हैं। 'उपचार' शब्द का उपयोग टैरि फ अधि नि यम या इससे जुड़े संघीय वि नि यमों में भी नहीं कि या गया है। सामान्य रूप से, सीबीपी उपचार शब्द का प्रयोग बंधुआ मजदूरी के संकेतों को दूर करने की प्रक्रि या के रूप में करता है (वि शेषकर, बंधुआ मजदूरी के लि ए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 11 संकेतों के लि ए), न कि प्रभावि त अधि कार धारकों के लि ए उपायों के प्रावधान के रूप में। यद्यपि ये दोनों वि चार एक जैसे हैं, कि न्तु ये एक नहीं हैं।

इन दोनों वि चारों में अंतर समझने के लि ए शब्द ‘उपाय’ का प्रयोग ऊपर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सि द्धांतों को समझने में कि या गया है, वहीं शब्द ‘उपचार’ का प्रयोग सीबीपी की समाधान प्रक्रि या (यानी बंधुआ मजदूरी के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संकेतकों की समाप्ति) के रूप में कि या गया है।

13 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2012) *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights, An Interpretive Guide*, page 7

14 See: CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*; CBP (October 2021) *How are WRO and/or finding modifications and revocations processed?*

15 CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*; CBP (October 2021) *How are WRO and/or finding modifications and revocations processed?*; ILO (1 October 2012) *ILO Indicators of Forced Labour*

16 CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*; CBP (October 2021) *How are WRO and/or finding modifications and revocations processed?*

17 CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*

2. कार्यप्रणाली

2.1 रि पोर्ट टैरि फ अधि नि यम के तहत आयात प्रति बंधों और श्रमि कों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों के लि ए उपचार के प्रावधान के बीच संबंधों की जांच करती है। इसमें शामि ल है:

(a) टैरि फ अधि नि यम के तहत 'उपचार' की अवधारणा को कैसे समझा और लागू कि या गया है?

(b) जहां एक कंपनी एक आयात प्रति बंध के अधीन है, कंपनी और अन्य जि म्मेदार लोगों ने प्रति बंध के जवाब में बंधुआ मजदूरी से जुड़े मसलों के नि स्तारण के लि ए क्या उपाय कि ए हैं?

(c) उन उपायों ने कि स हद तक बंधुआ मजदूरों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों की स्थि ति में सुधार की दि शा तय की है? सुधार के क्या उपाय कि ए गए और उनका क्या प्रभाव पड़ा?

(d) बंधुआ मजदूरों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों की स्थि ति यों में सुधार लाने लि ए कौन से कारक आयात प्रति बंधों की प्रभावशीलता का समर्थन करते हैं या कम करते हैं?

2.2 रि पोर्ट इन मुद्दों पर उन मामलों के नौ केस स्टडीज के माध्यम से वि चार करती है जहां एक कंपनी ने टैरि फ अधि नि यम के तहत लगाए गए बंधुआ मजदूरी आयात प्रति बंध को हटाने की मांग की है। इन केस स्टडीज को आयात प्रति बंधों से सीधे प्रभावि त कंपनि यों और उद्योगों में कार्यरत 53 श्रमि कों के साथ-साथ ट्रेड यूनि यनों, सि वि ल सोसायटी समूहों और दुनि या भर के स्वतंत्र वि शेषज्ञों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से वि कसि त कि या गया है। उसके साथ मौके पर जाकर जांच-पड़ताल और आंकड़ों पर केंद्रि त शोध भी कि या गया है।

केस स्टडीज का सारांश

कार्यक्षेत्र	उद्योग	इकाइयां या उद्योग
ब्राजील	बोन ब्लैक/ बोन चार	बोनेचार कारवाओ एटि वदो डो ब्राजील लि मि टेड (**बोनचार**)
भारत	गारमेंट्स	नाची एपेरल्स प्राइवेट लि मि टेड
मलेशि या	पॉम आयल	एफजीवी होल्डि ंग्स बीएचडी
मलेशि या	पॉम आयल	साइम डार्बी प्लांटेशन बीएचडी
मलेशि या	डि स्पोजेबल दस्ताने	टॉप ग्लोव कॉरपोरेशन बीएचडी
मलावी	तम्बाकू	मलावी में उत्पादि त तम्बाकू और मलावी में उत्पादि त तम्बाकू युक्त उत्पाद
नेपाल	कालीन, हाथ से बुने हुए ऊनी उत्पाद	कु मार कारपेट, सि घं कारपेट प्राइवेट लि मि टेड, नोरसांग कारपेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि मि टेड, अन्नपूर्णा कारपेट, एवरेस्ट कारपेट, वैली कारपेट, और केके कारपेट इंडस्ट्रीज काठमांडू
मछली पकड़ने की नाव: डा वांग	दूरस्थ जल में मछली पकड़ना	फि शि गं वेसेल: डा वांग
थाईलड	मछली पकड़ने के जाल	खोन कीन फि शि गं नेट फै क्ट्री कं पनी लि मि टेड डके ापनि क फि शि गं नेट फै क्ट्री लि मि टेड

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

A. टैरि फ अधि नि यम तंत्र के तहत 'उपचार' की अवधारणा को कैसे समझा और लागू कि या गया है?

टैरि फ अधि नि यम के संदर्भ में, 'उपचार' का तात्पर्य बंधुआ मजदूरी की स्थि ति यों में लोगों के लि ए ठोस उपचार के प्रावधान के बजाय, बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को हटाने से है।

3.1 सीबीपी 'उपचार' शब्द का उपयोग तब करता है जब वह वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर को हटाना या नि ष्कर्षों को बदलने के बारे में नि र्णय लेता है। वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या नि ष्कर्ष दो में से एक तरीके से उठाए या बदले जा सकते हैं:

(a) 'संशोधन' वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या नि ष्कर्ष को लागू करने के फैसले का आंशि क या पूर्ण नि लंबन है। उदाहरण के लि ए, कुछ कंपनि यों या उत्पादों को इसके दायरे से बाहर करने के लि ए एक वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर को संशोधि त कि या जा सकता है।

(b) 'नि रसन' सीबीपी द्वारा इस नि र्धा रण के आधार वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या नि ष्कर्ष को पूरी तरह समाप्त करना है, कि उक्त संस्था या उससे जुड़े लोग बंधुआ मजदूरी की प्रक्रि या में शामि ल नहीं हैं।

3.2 अपने मार्गदर्शक दस्तावेजों में, सीबीपी कहता है कि यह वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर को तब तक संशोधि त या रद्द नहीं करेगा, जब तक कि सभी बंधुआ मजदूरी संकेतकों को दूर नहीं कि या जाता है।" हालाँकि , ये मार्गदर्शक दस्तावेज़ वि शेष रूप से 'उपचार' को परि भाषि त नहीं करते हैं। 'उपचार' शब्द का उपयोग टैरि फ अधि नि यम या इसके साथ जुड़े संघीय वि नि यमों में भी नहीं कि या गया है।

3.3 व्यवहार में, सीबीपी 'उपचार' शब्द का उपयोग अधि कार धारकों के जीवन में सुधार के प्रावधानों के बजाय बंधुआ मजदूरी के संकेतकों (वि शेष रूप से बंधुआ मजदूरी के लि ए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 11 संकेतकों) को हटाने की प्रक्रि या के रूप में करता है। यद्पि दोनों अवधारणाएं एक जैसी हैं, कि न्तु वे समान नहीं हैं।

3.4 उदाहरण के लि ए, रि पोर्ट में जांचे गए कई मामलों के अध्ययन में, ऋण बंधन (उदाहरण के लि ए, प्रवासी श्रमि कों द्वारा भर्ती शुल्क के भुगतान से उत्पन्न), सीबीपी द्वारा चि ह्नि त बंधुआ मजदूरी का एक प्रमुख संकेतक था। जवाब में, कुछ कंपनि यों ने बंधुआ मजदूरी के इस संकेतक को 'उपचारि त' करने (यानी हटाने) के लि ए प्रवासी श्रमि कों से लि ए दए भर्ती शुल्क की प्रति पूर्ति की। भर्ती शुल्क की प्रति पूर्ति श्रमि कों को ऋण बंधन की संभावि त स्थि ति यों से हटाकर बंधुआ मजदूरी के संकेतकों के 'नि वारण' (अर्था त, हटाने) में मदद कर सकती है। हालांकि , बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होने के बावजूद भर्ती शुल्क की प्रति पूर्ति उन श्रमि कों को मुआवजे की पेशकश करने के समान नहीं है, जि न्हें ऋण बंधन के माध्यम से बंधुआ मजदूरी के लि ए मजबूर कि या गया था।

---

18 See: CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*; CBP (October 2021) *How are WRO and/or finding modifications and revocations processed?*

19 Ibid.

20 Ibid.

21 CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*

22 In some cases, migrant workers interviewed for the Report reported that the recruitment fee reimbursement payment they received was slightly more than the actual recruitment fee that they paid. This surplus may be considered to have some compensatory value for workers, but it is not the same as a payment that is specifically intended to compensate workers for having been subjected to conditions of forced labour.

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

3.5 इसके अलावा, बंधुआ मजदूरी के संकेतकों का समाधान हमेशा व्यक्ति गत समाधान की ओर नहीं ले जाता है। उदाहरण के लि ए 2020 में सीबीपी ने "सामाजि क अनुपालन कार्यक्रमों और उसकी आपूर्ति श्रखंृ ला से बधं आु मजदरू ी के जोखि म को कम करने के प्रयासों" के मल्ू यांकन के आधार पर मलावी में दो तंबाकू कंपनि यों पर लागू वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर को संशोधि त कि या था। फि र भी, रि पोर्ट में जि न तंबाकू श्रमि कों का साक्षात्कार कि या गया, उन्होंने बताया कि आयात प्रति बंधों के जवाब में श्रमि कों को कोई सुवि धाएं नहीं प्रदान की गयीं।

यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि जबरन बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को पर्या प्त रूप से समाप्त मानने के लि ए सीबीपी कौन सा प्रमाणि क मानक लागू करता है।

3.6 ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीपी ने अलग-अलग मामलों में यह तय करने के लि ए अलग-अलग मानक अपनाए हैं कि कि सी कंपनी ने बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को पर्या प्त रूप से सुधारा है यानी समाप्त कर दि या है।

3.7 तीन फरवरी 2023 को जारी एक प्रेस वि ज्ञप्ति में सीबीपी ने कहा कि वह रि लीज ऑर्डर या नि ष्कर्षों को तब तक संशोधि त नहीं करता है जब तक कि एजेंसी के पास संबंधि त सामग्री का नि र्मा ण बंधुआ मजदूरी से न होने का सबूत न हो? हालाँकि , यह हमेशा इस मानक को लागू करता दि खता नहीं है।

3.8 वि शेष रूप से, नवंबर 2019 में, सीबीपी ने बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम का प्रयोग कर तंबाकू उत्पादन की चि तं ा के कारण मलावी से तम्बाकू के आयात पर प्रति बधं लगा दि या था। जनू और अगस्त 2020 में, सीबीपी ने बंधुआ मजदूरी के जोखि मों की पहचान करने और उन्हें कम करने के प्रयासों के आधार पर मलावी की दो सबसे बड़ी तंबाकू पत्ती खरीदने वाली कंपनि यों पर लगे आयात प्रति बंध को संशोधि त कि या। सीबीपी ने कहा कि दोवों कंपनि यों ने अपने खेतों से तंबाकू उत्पादन में बंधुआ मजदूरी का प्रयोग न करने का दावा कि या था और इसके समर्थन में पर्या प्त तथ्य भी प्रस्तुत कि ये थे।

3.9 मलावी से तम्बाकू के आयात पर प्रति बंध को संशोधि त करने के सीबीपी के नि र्णय अन्य मामलों की तुलना में अलग मानक को अपनाते हुए प्रतीत होते हैं। मलावी के मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीपी ने एक जोखि म-आधारि त दृष्टि कोण अपनाया है। इसके अंतर्गत सि र्फ इस आवश्यकता पर जोर दि या गया है कि कंपनि यां बंधुआ मजदूरी के जोखि मों की पहचान करने और उन्हें कम करने के प्रयासों को को प्रदर्शि त करें।

23 CBP (3 June 2020) *CBP Modifies Withhold Release Order on Imports of Tobacco from Malawi*
24 CBP (3 February 2023) *CBP Modifies Finding on Sime Darby Plantation Berhad in Malaysia*
25 CBP (1 August 2020) *CBP Modifies Withhold Release Order on Tobacco Imports from Limbe Leaf Tobacco Company Ltd. in Malawi*
26 CBP (3 June 2020) *CBP Modifies Withhold Release Order on Imports of Tobacco from Malawi*
27 CBP (3 February 2023) *CBP Modifies Finding on Sime Darby Plantation Berhad in Malaysia*
28 CBP (3 February 2023) *CBP Modifies Finding on Sime Darby Plantation Berhad in Malaysia*

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

B. जहां कोई कंपनी आयात प्रति बंध के अधीन है, तो प्रति बंधों के जवाब में कंपनी और अन्य जि म्मेदार लोगों ने बंधुआ मजदूरी से जुड़े मुद्दों को हल करने के क्या उपाय कि ए हैं?

कुछ मामलों में आयात प्रति बंध आपूर्ति श्रंखलाओं में बंधुआ मजदूरी रोकने के लि ए पर्या प्त कानूनी, नीति गत व परि चालन स्तर पर बदलाव का कारण बने हैं।

3.10 टैरि फ अधि नि यम के तहत आयात प्रति बंधों का व्यापक प्रभाव पड़ा है, और वे अक्सर सुधार की राह में बाधक उद्योगों में तेजी से बदलाव लाने के लि ए उत्प्रेरक रहे हैं।

3.11 वास्तवि क या धमकी भरे आयात प्रति बंधों के जवाब में, मलेशि या में रबड़ के दस्ताने और ताड़ के तेल उद्योगों में कंपनि यों ने लगभग 82,000 प्रवासी श्रमि कों को भर्ती शुल्क के एवज में 115.4 मि लि यन अमरीकी डालर से अधि क चुकाने के लि ए मजबूर कि या है। रि स्पॉन्सि बल ग्लोव एलायंस जैसी नई कॉर्पो रेट स्थि रता पहल शुरू की गई हैं, कर्मचारी शि कायत तंत्र को मजबूत कि या गया है, और भर्ती , कॉर्पो रेट प्रशासन और स्थि रता नीति यों में सुधार कि या गया है।

29 The method of calculating this figure is explained in more detail in the Report.

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

प्रवासी श्रमि कों द्वारा भुगतान की गई भर्ती फीस वापसी के लि ए मलेशि याई पॉम आयल और दस्ताना नि र्मा ण कंपनि यों की प्रति बद्धताएं

कंपनी	भुगतान कि या गया/ वादा कि या गया (औसतन)	श्रमि कों की संख्या
सि म डार्बी	18.2 मि लि यन अमेरि की डॉलर	34,000
टॉप ग्लोव	33.3 मि लि यन अमेरि की डॉलर	13,000
कोस्सान ग्रुप	11.2 मि लि यन अमेरि की डॉलर	5,500
हर्टा ल्जि या	9.1 मि लि यन अमेरि की डॉलर	अघोषि त
सुपरमैक्स	5.1 मि लि यन अमेरि की डॉलर	1,750
ब्राइटवे	8.4 मि लि यन अमेरि की डॉलर	2,719
डब्ल्यूआरपी	4.7 मि लि यन अमेरि की डॉलर	1,600
एफजीवी	24.9 मि लि यन अमेरि की डॉलर	23,333 + पूर्व श्रमि क
कुल	**115.4 मि लि यन अमेरि की डॉलर**	**81,902**

3.12 सीबीपी की छापामार कार्रवाइयों से कानूनी कार्रवाइयों में वृद्धि हुई है। आयात प्रति बंधों के क्रम में आगे बढ़ते हुए अमेरि का और इंग्लैंड में उन कंपनि यों के खि लाफ सि वि ल मुक़दमे कि ए गए हैं, जि न्होंने आयात प्रति बंध के दायरे में आई कंपनि यों के उत्पादों को प्राप्त कि या है या उनसे लाभ कमाया है। ताइवान में, एक आयात प्रति बंध के चलते मछली पकड़ने वाले जलयान दा वांग पर तस्करी और बंधुआ मजदूरी के तहत मुकदमा कायम कराया गया और इस जलयान का लाइसेंस रद्द कर दि या गया।

30 Sime Darby Plantation Bhd (15 February 2022) *Sime Darby Plantation Institutes Sweeping Changes in Governance and Operations*; Sime Darby Plantation Bhd (21 April 2022) *Annual Integrated Report 2021*, page 148; Sime Darby Plantation Bhd (29 April 2022) *Sustainability Report 2021*, page 41

31 Top Glove *Continuous Improvement Report*

32 Kossan Group (10 June 2021) *Kossan Group Remediation Program*; The Diplomat (14 September 2021) *Debt Bondage Payouts Flow to Workers in Malaysia's Glove Industry*

33 Hartalega Holdings Bhd (8 June 2021) *Hartalega Completes Remediation of Recruitment Fees Totalling RM 41 million*

34 The Diplomat (14 September 2021) *Debt Bondage Payouts Flow to Workers in Malaysia's Glove Industry*

35 Reuters (19 May 2021) *An audit gave the all-clear. Others alleged slavery*

36 FMT (8 July 2020) *Glovemaker WRP to reimburse recruitment fee paid by workers*

37 FGV (27 February 2023) *FGV's FY2022 Financial Performance Charts New Record Since Listing*

38 For example, in 2021 CBP imposed a WRO on Malaysian glovemaker Brightway Group over alleged forced labour at the company. In 2022, a civil lawsuit was filed in the United States under the Trafficking Victims Protection Reauthorization Act against health and safety equipment company Ansell and personal care company Kimberly-Clark over the companies' alleged ties to Brightway. See: Ansell (11 August 2022) *TVPRA Lawsuit Against Ansell* ; International Rights Advocates, *Cases: Kimberly Clark and Ansell*

39 Kaohsiung District Prosecutors' Office (17 May 2022) *Kaohsiung District Prosecutors' Office Charged 9 People for Exploiting and Abusing Foreign Crew on A Longline Fishing Boat, "Da Wang", Against Human Trafficking Prevention Act*

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

3.13 आयात प्रति बंधों ने न्यायि क व नीति गत बदलावों की राह भी खोली है। ताइवान में, आयात प्रति बंधों ने मत्स्य पालन और मानवाधि कारों के लि ए एक आधि कारि क कार्य योजना को अपनाने में मदद की, जि समें दूर जाकर मछली पकड़ने वाले श्रमि कों के लि ए मासि क न्यूनतम वेतन में 100 अमेरि की डॉलर की वृद्धि शामि ल है।

3.14 थाइलैंड में आयात प्रति बंध की धमकी के चलते थाईलैंड की शाही सरकार ने जेल श्रम का प्रयोग करते हुए मछली पकड़ने के जालों का नि र्मा ण बंद करने की प्रति बद्धता जाहि र की है। यह कुछ मामलों में सरकारी क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी को रोकने के मामले में प्रभावी तरीके का उदाहरण साबि त हो सकता है।

3.15 मलेशि या में सरकार ने दस्ताना नि र्मा ताओं और पॉम ऑयल कंपनि यों के खि लाफ आयात प्रति बधं ों की एक श्रखं ृ ला के बाद श्रम काननू ों और नीति यों में कई सधु ार पेश कि ए हैं, जि समें प्रवासी श्रमि कों के लि ए बेहतर सुरक्षा, और बंधुआ मजदूरी को अपराध के दायरे में लाने की पहल शामि ल है। हालांकि इन सभी सुधारों को आयात प्रति बंधों के प्रभाव के लि ए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय देना संभव नहीं है। हां, आयात प्रति बंधों को इन सुधारों को और अधि क तेजी से अपनाने के लि ए प्रेरक माना जा सकता है।

3.16 अधि क व्यापक रूप से, हि तधारकों का मानना है कि सीबीपी प्रवर्तन कार्रवाइयां उन तरीकों में बदलाव ला रही हैं जि ससे कं पनि यां अपनी आपर्ति श्रखं ृ लाओं में बधं आु मजदरू ी तक पहुंच बना रही हैं - यहां तक कि उन कंपनि यों में भी जो आयात प्रति बंधों से सीधे प्रभावि त नहीं हैं। उनका मानना है कि आयात प्रति बंध सामाजि क अनुपालन में भारी बदलाव ला रहे हैं क्योंकि बड़े व्यावसायि क नि हि तार्थों के बारे में... चार साल पहले भी मानक अभ्यास के रूप में जो स्वीकार्य था, वह अब अच्छा अभ्यास नहीं है।

3.17 कु छ मामलों में, आयात प्रति बधं ों ने आपर्ति श्रखं ृ लाओं में बधं आु मजदरू ी को प्रबधं न स्तर तक पहुंचा दि या, जि से वरि ष्ठ स्तर के प्रबंधन द्वारा गंभीरता से लि या गया है। उदाहरण के लि ए, डब्ल्यूआरओ के जवाब में, मलेशि याई पाम ऑयल कंपनी सि म डार्बी प्लांटेशन ने जुलाई 2021 में बंधुआ मजदूरी के उपचार की नि गरानी और नि गरानी के लि ए एक बोर्ड सस्टेनेबि लि टी कमेटी की स्थापना की, और श्रमि कों से जुड़े मुद्दों पर इसके प्रदर्शन को ट्रैक करने और मापने के लि ए नया आंतरि क ईएसजी स्कोरकार्ड पेश कि या।

3.18 अन्य मामलों में, काम की परि स्थि ति यों में सुधार, कंपनी की नीति यों और प्रथाओं को बदलने, या कानूनी और नीति गत सुधार लाने के संदर्भ में आयात प्रति बंधों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था। यह मलावी और नेपाल के मामलों में उल्लेखनीय था - जहां हि तधारकों ने आम तौर पर यह रि पोर्ट नहीं दी थी कि आयात प्रति बंध काम की परि स्थि ति यों, कंपनी प्रथाओं, या राष्ट्रीय कानूनी और नीति गत परि दृश्य में बंधुआ मजदूरी से नि पटने के मुख्य हथि यार बने।

40 Council of Agriculture (May 2022) *Action Plan for Fisheries and Human Rights*
41 Department of Corrections (1 March 2021) *Corrections reforms prisoners' labour according to human rights standards*
42 Employment (Amendment) Act 2023
43 Interview with Jen Jahnke, Associate Director, Impactt Limited
44 Sime Darby Plantation (15 February 2022) *Sime Darby Plantation Institutes Sweeping Changes in Governance and Operations*; Sime Darby Plantation Bhd (21 March 2022) *Update session: Ban (Finding) issued by the United States Customs and Border Protection on Sime Darby Plantation*, page 24; Sime Darby Plantation (15 February 2022) *Sime Darby Plantation Institutes Sweeping Changes in Governance and Operations*
45 This does not mean that there have been no such reforms or improvements. Rather, there was no clear evidence that any such reforms and improvements were directly attributable to the impact of an import ban.

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

C. उन उपायों ने कि स हद तक बंधुआ मजदूरों और अन्य प्रभावि त लोगों की स्थि ति में सुधार के प्रावधान सुनि श्चि त कराए हैं? क्या सुधार हुए और उनका क्या प्रभाव पड़ा?

आयात प्रति बंधों के परि णामस्वरूप बंधुआ मजदूरी के शि कार लोगों के लि ए महत्वपूर्ण उपायों का प्रावधान कि या गया है, जि समें कंपनि यों द्वारा मलेशि या में लगभग 82,000 प्रवासी श्रमि कों को भर्ती शुल्क के रूप में 115.4 मि लि यन अमरीकी डालर चुकाने की प्रति बद्धता शामि ल है। लेकि न भर्ती शुल्क की प्रति पूर्ति के अलावा, समस्या के सीधे समाधान के लि ए कुछ अन्य प्रयास भी कि ये गए हैं।

3.19 रि पोर्ट ने आयात प्रति बंधों के जवाब में श्रमि कों और प्रभावि त अधि कार धारकों को समस्या से मुक्ति के लि ए की गयी कोशि शों को जानने की पड़ताल की। नीचे दी गई तालि का जांचे गए प्रत्येक मामले के अध्ययन में पहचाने गए वि भि न्न प्रयासों को दर्शा ती है।

3.20 तालि का उन उदाहरणों पर प्रकाश डालती है जहां यह इंगि त करने वाले साक्ष्य थे कि श्रमि कों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों को एक उपाय प्रदान कि या गया था। तालि का यह इंगि त नहीं करती है कि क्या वे उपाय प्रभावी थे या प्राप्तकर्ता ओं के दृष्टि कोण से पर्या प्त थे, क्योंकि यह हर मामले में सत्यापि त करना संभव नहीं था।

3.21 नीचे दी गई तालि का को संकलि त करने के लि ए सूचना के कई स्रोतों का उपयोग कि या गया था। जहां संभव हुआ, वहां साक्ष्य का प्राथमि क स्रोत स्वयं प्रभावि त श्रमि कों और अधि कार धारकों के साक्षात्कार थे। ऑडि ट रि पोर्ट, कंपनी की घोषणाएं और प्रकाशन और स्वतंत्र मीडि या कवरेज जैसे दूसरे स्रोतों से इनकी पुष्टि की गयी। नीचे दी गई तालि का में वि भि न्न स्रोतों द्वारा जुटाई की गई जानकारी को अलग करने के लि ए अलग-अलग रंगों का उपयोग कि या गया है।

(a) हरे रंग से उन प्रयासों को दर्शा या गया है, जि नके बारे में साक्षात्कार के दौरान श्रमि कों और अधि कार धारकों ने बताया था कि उन्हें उन प्रयासोंका लाभ प्राप्त हुआ था।

(b) पीले रंग में उन उपायों की जानकारी दी गयी है, जि नका दावा कंपनि यों या सरकारों ने प्रेस वि ज्ञप्ति यों, वि भि न्न प्रकाशनों या ऑडि ट रि पोर्ट में कि या गया था, कि न्तु साक्षात्कारों में उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसा कर्मचारि यों के साक्षात्कार न हो सकने या जि न कर्मचारि यों के साक्षात्कार हुए, उनके द्वारा टि प्पणी करने से इनकार करने के कारण हो सकता है। ऐसा इसलि ए भी संभव है क्योंकि जि न लोगों का साक्षात्कार हुआ, वे उपाय की जानकारी के समय उस कंपनी या उद्योग में काम नहीं कर रहे थे।

(c) ारंगी रंग से उन उपायों को दि खाया गया है, जि नके बारे में कंपनि यों और सरकारों ने तो उपाय कि ये जाने की जानकारी दी थी, कि न्तु श्रमि कों ने साक्षात्कार के दौरान उनकी पुष्टि नहीं की थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंपनि यों या सरकारों द्वारा दी गयी जानकारी और श्रमि कों के बयानों में उपायों को लेकर वि संगति थी।

46 The list of remedies is derived from the forms of remedy that were observed to have been provided in the different case studies, as well as the OHCHR interpretive guide to the UNGPs. See: United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2012) *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights, An Interpretive Guide*, page 7

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

आयात प्रति बंधों के जवाब में कि ए गए उपायों का सारांश

हरा: स्वयंबताए गए उपाय, और रि पोर्ट के लि ए आयोजि त कार्यकर्ता साक्षात्कारों में पुष्टि की गई।

ऑरेंज: स्वयं बताए गए उपाय और रि पोर्ट के लि ए आयोजि त कार्यकर्ता साक्षात्कारों द्वारा पुष्टि नहीं की गई

Yellow: स्वयं बताए गए उपाय और रि पोर्ट के लि ए श्रमि कों के साक्षात्कार करना संभव नहीं हो सका।

स्थि ति	वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर/नि ष्कर्षों में संशोधन/समापन				वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर/नि ष्कर्षों में संशोधन/समापन न होना		वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर/ नि ष्कर्ष न होना
केस स्टडी	मलेशि या रबर ग्लोव्स (टॉप ग्लोव)	मलावी टुबैको	नेपाल कारपेट्स (अन्नपूर्णा कारपेट)	मलेशि या पॉम आयल (साइम डार्बी)	मलेशि या पॉम आयल (एफजीवी होल्डि ंग्स)	डि स्टेंस वाटर फि शि गं (द डा वांग)	थाइलडैं फि शि गं नेट्स
क्षमायाचना							
मुआवजा / क्षति पूर्ति							
पुनर्वा स							
भर्ती शुल्क प्रति पूर्ति							
दोहराव न होने की गारंटी							
रहन-सहन व काम की स्थि ति यों में सुधार						सरकारी सुधारों के माध्यम से, कंपनी द्वारा उपाय नहीं	सरकारी सुधारों के माध्यम से, कंपनी द्वारा उपाय नहीं
सेवायोजन / रोजगार नीति यों में सुधार						सरकारी सुधारों के माध्यम से, कंपनी द्वारा उपाय नहीं	सरकारी सुधारों के माध्यम से, कंपनी द्वारा उपाय नहीं
अपराधि यों के लि ए कानूनी जवाबदेही							
बेहतर शि कायत चैनल							

**Worker interviews not conducted for the purpose of this report*

47 Two case studies – Natchi Apparel and Bonechar – have not been included in the table. In both these cases, the WRO in question was modified by CBP after receiving evidence that there was in fact no forced labour in the companies' respective operations, and hence no remediation was undertaken.

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

3.22 जैसा कि ऊपर दी गई तालि का में संक्षेपि त कि या गया है:

(a) एक मामले में, रि पोर्ट ने स्पष्ट सबूत की पहचान नहीं की कि सुधार के उपाय कि ये गए थे या आयात प्रति बंध के जवाब में व्यक्ति गत अधि कार धारकों को उपचार प्रदान कि या गया था।

(b) चार मामलों में, इस बात के सबूत थे कि आयात प्रति बंध के जवाब में बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को हटाने के लि ए कंपनि यों द्वारा सुधार कि या गया था। इसमें कंपनी की नीति यों और प्रशासन प्रणालि यों में सुधार के माध्यम से, बेहतर कर्मचारी आवास में नि वेश करना शामि ल है। लेकि न इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था कि उन प्रयासों के तहत व्यक्ति गत अधि कार धारकों को उपचार प्रदान कि ए गए थे।

(c) दो मामलों में, इस बात के प्रमाण मि ले थए कि आयात प्रति बंध के जवाब में बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को हटाने के लि ए संबंधि त कंपनि यों द्वारा सुधार कि ये गए थे, और उस प्रक्रि या के हि स्से के रूप में व्यक्ति गत अधि कार धारकों को सुवि धाएं प्रदान की गयी थीं। दोनों मामलों में, भर्ती शुल्क की प्रति पूर्ति के रूप में व्यक्ति गत लाभ दि ये गए थे। इसके अति रि क्त, इनमें से एक मामले में, बंधुआ मजदूरी की स्थि ति में रहने वाले श्रमि कों के लि ए मुआवजे के रूप में व्यक्ति गत उपाय की पेशकश की गई थी।

3.23 मलेशि या में प्रवासी श्रमि कों को भर्ती शुल्क की प्रति पूर्ति के अलावा, प्रभावि त अधि कार धारकों के लि ए कुछ अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष उपाय भी कि ये गए। उदाहरण के लि ए, रि पोर्ट ने केवल एक उदाहरण की पहचान की जि समें एक कंपनी सार्वजनि क रूप से उन श्रमि कों को मुआवजा देने के लि ए प्रति बद्ध थी जो बंधुआ मजदूरी की स्थि ति में थे।

3.24 बहुत से मामलों में, कंपनि यों ने अपने प्रबंधन, मानवाधि कारों, भर्ती , और रोजगार नीति यों व प्रथाओं में परि वर्तन करके आयात प्रति बंधों का जवाब दि या है। ये नीति गत परि वर्तन भवि ष्योन्मुखी व भावी उपाय का एक रूप हो सकते हैं - जि समें वे यह सुनि श्चि त करने में मदद कर सकते हैं कि भवि ष्य में श्रमि कों को नुकसान के समान रूपों का अनुभव नहीं होगा। उदाहरण के लि ए, कंपनि यों ने कथि त तौर पर अपनी भर्ती और रोजगार नीति यों और प्रथाओं (सात में से पांच केस स्टडीज) में सुधार पेश कि ए हैं, और कर्मचारी शि कायत तंत्र को मजबूत कि या है (सात केस स्टडीज में से चार)।

3.25 हालांकि , जि न नीति गत सुधारों का वादा कि या गया था, उन श्रमि कों की दशा व अनुभवों में उन सुधारों का असर नहीं दि खा, जि नसे इस रि पोर्ट के लि ए बात की गयी थी। कम से कम तीन मामलों के अध्ययन में, कंपनि यों द्वारा प्रदान कि ए गए उपायों और रि पोर्ट के लि ए साक्षात्कार कि ए गए श्रमि कों के अनुभवों के बीच एक वि संगति की पहचान की गई थी।

जि न केस स्टडीज का परीक्षण कि या गया, उनमें आयात प्रति बंध आम तौर पर श्रमि कों के लि ए नौकरी के नुकसान या अन्य प्रति कूल आर्थि क प्रभावों का परि णाम नहीं थे

48 Tobacco, Malawi
49 Palm oil, Malaysia (FGV Holdings), carpets, Nepal (Annapurna Carpet), distant water fishing (the *Da Wang*), Thailand, fishing nets
50 Malaysia, palm oil (Sime Darby), Malaysia, rubber gloves (Top Glove). In some cases, migrant workers interviewed for this report reported that the recruitment fee reimbursement payment they received was slightly more than the actual recruitment fee that they paid. This surplus may be considered to have some compensatory value for workers, but it is not the same as a payment that is specifically intended to compensate workers for having been subjected to conditions of forced labour.
51 Malaysia, rubber gloves (Top Glove)

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

3.26 पर्यवेक्षकों ने महसूसी कि या है कि आयात प्रति बंधों से प्रभावि त कंपनि यों और उद्योगों में श्रमि कों को आर्थि क नुकसान होने की संभावना हो सकती है (उदाहरण के लि ए, ऑर्डर कम होने या कारखाने बंद होने के कारण)। आयात प्रति बंध अंतर्रा ष्ट्रीय कंपनि यों को उन कंपनि यों या उद्योगों से अलग होने या उनसे अलग होने के लि ए प्रोत्साहि त कर सकते हैं, जो उस उद्योग या कंपनी में बंधुआ मजदूरी के मूल कारणों को दूर करने के लि ए काम करने के बजाय बंधुआ मजदूरी का उच्च जोखि म उठाते हैं। रि पोर्ट में जि न केस स्टडीज का का परीक्षण हुआ, उनमें ऐसे खतरे सामने नहीं आए।

3.27 केस स्टडीज के परीक्षण के दौरान, रि पोर्ट में आयात प्रति बंधों के कारण श्रमि कों की नौकरी जाने, मजदूरी में कमी या अन्य प्रति कूल प्रभावों का प्रमाण नहीं मि ला। वास्तव में, कुछ मामलों में, आयात प्रति बंधों से प्रभावि त कंपनि यों के टर्नओवर या लाभ में कोई प्रत्यक्ष कमी नहीं दि खाई दी (हालाँकि इन कंपनि यों ने अन्य प्रति कूल वाणि ज्यि क और प्रति ष्ठि त प्रभावों का अनुभव कि या)। यह वि शेष रूप से बड़ी कंपनि यों के मामले में था।

3.28 दो केस स्टडीज (भारत की में नैची अपैरल्स और ब्राजील की बोनचर) में आयात प्रति बंधों ने प्रभावि त कंपनि यों में संभावि त नौकरी के नुकसान के जोखि म को जन्म दि या। हालाँकि , दोनों ही मामलों में, आयात प्रति बंधों को जल्दी से संशोधि त कि या गया और उन संभावि त प्रति कूल प्रभावों के अमल में आने से पहले हटा लि या गया। उदाहरण के लि ए, नैची अपैरल्स के मामले में, सीबीपी ने नागरि क समाज समूहों और ट्रेड यूनि यनों द्वारा यह चि तं ा जताए जाने के बाद कि डब्ल्यआू रओ डि डं ीगलु समझौते के सफल कार्या न्वयन को खतरे में डाल सकता है, केवल छह सप्ताह के भीतर डब्ल्यूआरओ को संशोधि त कि या गया। साथ ही एक ऐसा समझौता सामने आया, जि समें कं पनी के भीतर लि गं या जाति आधारि त हि सं ा व उत्पीड़न की समस्या का सफलतापर्वू क समाधान नि काल लि या गया।

3.29 प्रति कूल परि णामों की संभावना का मतलब यह नहीं है कि आयात प्रति बंधों को बंधुआ मजदूरी से नि पटने के लि ए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं कि या जाना चाहि ए। न ही इसका मतलब यह है कि आयात प्रति बंध लगाने के लि ए साक्ष्य सीमा बढ़ा दी जानी चाहि ए। हालांकि , प्रति कूल प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना आयात प्रति बंध लगाने से पहले नि र्णय लेने की प्रक्रि या के हि स्से के रूप में श्रमि कों, अधि कार धारकों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों के साथ परामर्श की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

52 Anti-Slavery International (June 2021) *Anti-Slavery International and European Center for Constitutional and Human Rights' position on import controls to address forced labour in supply chains*, page 4; Corporate Accountability Lab (August 2020) *Using the Master's Tools to Dismantle the Master's House: 307 Petitions as a Human Rights Tool*

53 It is possible that the companies' revenues or profits may have been higher but for the import ban – but this was not possible to quantify this within the scope of this study. It was also not possible to assess, within the scope of this study, why there was no reduction in turnover or profits. For example, the affected companies may have been able to find alternative export destinations for their products outside of the United States. In other cases, companies experienced significant increases in sales as a result of the COVID-19 pandemic (e.g., rubber glove makers) which may have offset the effects of the import ban.

54 Who can be considered credible representatives of workers will on the circumstances. They may include trade unions, but in some contexts workers (and especially migrant workers) may be prevented from forming or leading trade unions. In those circumstances, other forms of credible worker representation may be appropriate.

55 Anti-Slavery International (June 2021) *Anti-Slavery International and European Center for Constitutional and Human Rights' position on import controls to address forced labour in supply chains*

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

D. कि न कारकों ने बंधुआ मजदूरी और अन्य प्रभावि त लोगों की स्थि ति में सुधार के एक मजबूत उपाय के रूप में आयात प्रति बंधों के सफल उपयोग में योगदान दि या है या कम कि या है?

सीबीपी और सभी प्रासंगि क हि तधारकों, वि शेष रूप से श्रमि कों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों, नागरि क समाज और स्वतंत्र तीसरे पक्ष के सलाहकारों के बीच सक्रि य जुड़ाव प्रभावि त अधि कार धारकों के लि ए सुधार संबंधी उपायों के प्रभावी प्रावधान में योगदान कर सकता है।

3.30 कुल मि लाकर, रि पोर्ट में शामि ल केस स्टडीज के अध्ययन से पता चलता है कि बंधुआ मजदूरी से प्रभावी मुक्ति का दावा वही कंपनि यां कर सकती हैं, जि न कंपनि यों को नागरि क समाज या स्वतंत्र तीसरे पक्ष के सलाहकारों का समर्थन प्राप्त है। वि शेष रूप से, जहां कि सी नागरि क समाज समूह या ट्रेड यूनि यन द्वारा संशोधन या आयात प्रति बंध को रद्द करने के लि ए एक याचि का प्रस्तुत की जाती है या इन समूहों का समर्थन प्राप्त होता है, सीबीपी द्वारा प्रति बंध को संशोधि त करने या हटाने के लि ए तुरंत प्रति क्रि या देने की संभावना थी।

3.31 नागरि क समाज और सीबीपी के बीच सक्रि य जुड़ाव यह सुनि श्चि त करने में भी मदद कर सकता है कि सीबीपी को कि सी कंपनी द्वारा अपने संचालन में बंधुआ मजदूरी रोकने के लि ए कि ए गए उपायों ती जानकारी दी जाए। इसमें प्रभावि त अधि कार धारकों के लि ए कि ए गए वि शि ष्ट उपाय भी शामि ल कि ये जाने चाहि ए। कुछ मामलों में, सीबीपी के याचि काकर्ता ओं ने उन उपायों को सूचीबद्ध कि या है, जि नकी उन्हें कंपनि यों से अमल की उम्मीद है। अन्य मामलों में, नागरि क समाज समूहों ने आयात प्रति बंधों के जवाब में कंपनि यों द्वारा लागू सुधारात्मक कार्रवाइयों की पर्या प्तता पर टि प्पणी करने के लि ए सीबीपी को लि खा है। जुड़ाव के दोनों रूप सीबीपी को मूल्यवान जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकते हैं ताकि यह मूल्यांकन करने में मदद मि ल सके कि क्या कि सी कंपनी के पास बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के पर्या प्त साधन हैं। इनमें लोगों के लि ए के उपायों की स्थि ति भी शामि ल है। इसके बदले में, कंपनि यों द्वारा कि ए जाने वाले उपायों की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है।

व्यक्ति गत स्तर पर सुधारात्मक उपायों के प्रावधान के स्थान पर बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को हटाने पर ध्यान केंद्रि त करने से बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर श्रमि कों के के लि ए एक प्रभावी मददगार के रूप में टैरि फ अधि नि यम की प्रभावशीलता में बाधा आती है।

3.32 कि सी वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या नि ष्कर्षों को संशोधि त या रद करने का फैसला करते समय सीबीपी प्रारंभि क रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 11 संकेतकों को हटाने या कंपनी के संचालन में मौजूद रहने पर वि चार करता है। श्रमि कों और प्रभावि त अधि कार धारकों के लि ए पर्या प्त उपचार का प्रावधान इस आकलन का हि स्सा है कि क्या जबरन श्रम के संकेतकों को प्रभावी ढंग से हटा दि या गया है, लेकि न यह सीबीपी का प्राथमि क वि चार नहीं है।

3.33 व्यक्ति गत स्तर पर श्रमि कों के सुधार के प्रावधानों के स्थान पर सीबीपी का बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को हटाने पर ध्यान केंद्रि त करना, कंपनि यों द्वारा आयात प्रति बंधों पर प्रति क्रि या देने के तरीके को प्रभावि त कर सकता है। जैसा कि ऊपर दी गई तालि का में उल्लेख कि या गया है, आयात प्रति बंधों पर कंपनी की प्रति क्रि या संपूर्ण प्रणाली और नीति -स्तर के परि वर्तनों पर ध्यान केंद्रि त करती है। जहां व्यक्ति यों को उपचार प्रदान कि ए गए हैं, ये भर्ती शुल्क की प्रति पूर्ति तक सीमि त होने की प्रवृत्ति रखते हैं। रि पोर्ट ने केवल एक मामले की पहचान की जि समें एक कंपनी सार्वजनि क रूप से उन श्रमि कों को मुआवजा देने के लि ए प्रति बद्ध थी जो बंधुआ मजदूरी की स्थि ति में थे।

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

3.34 जैसा कि एक हि तधारक ने महसूस कि या: "टैरि फ अधि नि यम की कमजोरी यह है कि कोई वि शि ष्ट उपाय प्रावधान नहीं है... मजबूर श्रम के संकेतक की अनुपस्थि ति श्रमि कों के लि ए उपाय के प्रावधान के बराबर नहीं है। हम पि छले वेतन, मुआवजे, भवि ष्य के दुरुपयोग को रोकने के लि ए सि स्टम, शि कायत तंत्र तक पहुंच, क्षमता नि र्मा ण, जुड़ाव की स्वतंत्रता सुनि श्चि त करने के प्रावधान देखना चाहते हैं, ये ऐसे उपाय हैं जि न्हें हमें देखने की जरूरत है।"

आयात प्रति बंधों के जवाब में कंपनी के सुधारात्मक प्रयास आमतौर पर ऊपर से नीचे तक डि ज़ाइन कि ए गए हैं, जोखि म-संचालि त ऑडि ट/अनुपालन दृष्टि कोण का उपयोग करते हुए, और सीमि त हि तधारक जुड़ाव के साथ - वि शेष रूप से श्रमि कों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों और नागरि क समाज के साथ। यह प्रणालीगत-स्तर के परि वर्तन करने के लि ए कंपनी के सुधारात्मक प्रयासों की क्षमता में बाधा डालता है, और श्रमि कों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों के लि ए उपचारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है।

3.35 रि पोर्ट में परीक्षण की गयी केस स्टडीज में कंपनि यों ने समान तरीके से आयात प्रति बंधों का जवाब दि या। कंपनी की श्रम प्रथाओं का आधारभूत मूल्यांकन करने और जबरन श्रम के संकेतकों की पहचान करने के लि ए कंपनी ने पहले एक सामाजि क लेखा परीक्षक या बाहरी सलाहकार को नि युक्त कि या। इसके बाद अपने सलाहकारों के परामर्श से, कंपनी जबरन श्रम के पहचाने गए संकेतकों को दूर करने के लि ए एक सुधारात्मक कार्य योजना वि कसि त करेगी। सुधारात्मक कार्य योजना के पूरा होने पर, कंपनी सुधारात्मक कार्य योजना के कार्या न्वयन को सत्यापि त करने के लि ए एक और लेखापरीक्षा करेगी। कंपनी तब आयात प्रति बंध को संशोधि त करने या रद्द करने के लि ए कंपनी की याचि का का समर्थन करने के लि ए सीबीपी को ऑडि ट रि पोर्ट प्रस्तुत करेगी।

3.36 यह प्रवृत्ति , आंशि क रूप से, कंपनि यों के लि ए सीबीपी के मार्गदर्शन द्वारा संचालि त होने की संभावना है - जो यह सुझाव देती है कि आयात प्रति बंध को संशोधि त करने या रद्द करने के लि ए कंपनी की याचि काओं को एक ऑडि ट रि पोर्ट द्वारा समर्थि त कि या जाना चाहि ए। इस अनुपालन-संचालि त सामाजि क अंकेक्षण दृष्टि कोण के साथ कंपनि यों की परि चि तता भी इस प्रक्रि या का हि स्सा बनती है।

3.37 पोर्ट बताती है कि आम तौर पर कंपनि यां आयात प्रति बंधों के जवाब में सुधारात्मक कार्य योजना तैयार करते समय श्रमि कों, ट्रेड यूनि यनों या वि श्वसनीय कर्मचारी प्रति नि धि यों, नागरि क समाज और अन्य हि तधारकों को सार्थक रूप से शामि ल नहीं करती हैं। हि तधारकों के अनुसार, आयात प्रति बंधों के जवाब में वि कसि त सुधारात्मक कार्य योजनाएं आमतौर पर श्रमि कों और अन्य प्रभावि त हि तधारकों के परामर्श के बजाय कंपनि यों और उनके सलाहकारों द्वारा तैयार की जाती हैं। कुछ मामलों में, कंपनि यों ने आयात प्रति बंधों पर अपनी प्रति क्रि या पर सलाह देने के लि ए स्वतंत्र समि ति यों का गठन कि या है। हालांकि इन समि ति यों का गठन एक स्वागत योग्य और प्रगति शील उपाय है, कि न्तु ऐसी समि ति यों में आमतौर पर श्रमि कों, ट्रेड यूनि यनों या अन्य वि श्वसनीय कार्यकर्ता प्रति नि धि यों को शामि ल नहीं कि या जाता है।

3.38 मलेशि या में, कुछ कंपनि यों ने श्रमि कों के साथ उनके द्वारा भुगतान की गई भर्ती शुल्क की राशि की जांच करने के लि ए परामर्श कि या, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि उन्हें वादे के अनुसार भर्ती शुल्क की प्रति पूर्ति प्राप्त हुई है या नहीं। हालाँकि , रि पोर्ट में ऐसे कि सी भी उदाहरण की पहचान नहीं की गई है जि समें कंपनि यों ने प्रारंभि क परामर्श में श्रमि कों को प्रत्यक्ष रूप से उन उपायों पर उनके वि चार जानने के लि ए शामि ल कि या हो, जो श्रमि क प्राप्त करना चाहते हैं।

---

56 Interview with Allison Gill, Forced Labor Director, Global Labor Justice-International Labor Rights Forum
57 This basic pattern of behaviour can be observed, e.g., in the case studies of Malaysia's rubber glove and palm oil industries.
58 CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*
59 Reuters (14 July 2021) *Experts quit Sime Darby Plantation panel over transparency concerns*; FMT (14 July 2021) *Experts quit Sime Darby Plantation's human rights panel*; The Business Times (15 July 2021) *Malaysia's Sime Darby Plantation scraps rights panel after resignations*; Thomson Reuters Foundation (14 March 2021) *NGO exits Sime Darby Plantation rights panel over company's lawsuit* (Archived)

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

कंपनि याँ और सीबीपी सुधारात्मक उपायों के प्राथमि क सबूत के रूप में सोशल ऑडि ट पर बहुत अधि क भरोसा करना जारी रखते हैं।

3.39 सोशल ऑडि ट कं पनि यों को उनकी मल्ू य श्रंख्ृ लाओं में बधं आु मजदरू ी से जड़ु े जोखि मों की पहचान करने, रोकने, कम करने और उपाय करने में सहायक भूमि का नि भा सकता है। हालाँकि व्यापक शोध से पता चला है कि कंपनी द्वारा कमीशन कि ए गए सोशल ऑडि ट की प्रभावी रूप से बंधुआ मजदूरी की पहचान करने में सीमि त उपयोगि ता है, और वास्तव में, मानवाधि कारों के जोखि म को बढ़ा सकता है। सोशल ऑडि ट से स्वास्थ्य के स्वच्छ बि ल प्राप्त करने वाली कंपनि यों में कई उदाहरण हैं, जो अपनी मूल्य श्रंखला में बंधुआ मजदूरी की उपस्थि ति के कारण जल्द ही टैरि फ अधि नि यम के तहत आयात प्रति बंध का सामना करने वाली थीं।

3.40 रि पोर्ट में वि चार की गई कई कंपनि यां नि यमि त सोशल ऑडि ट से गुजरती हैं, या आयात प्रति बंध प्राप्त करने से पहले स्थि रता नि कायों द्वारा प्रमाणि त की गई थीं। कुछ मामलों में, इन सोशल ऑडि ट ने आयात प्रति बंध लागू होने से पहले बंधुआ मजदूरी के जोखि मों की पहचान की। हालांकि अन्य मामलों में, उन्होंने ऐसा नहीं कि या।

3.41 सोशल ऑडि टि ंग के मि श्रि त ट्रैक रि कॉर्ड के बावजूद, सीबीपी के मार्गदर्शन में कंपनि यों को यह सत्यापि त करने के लि ए ऑडि ट रि पोर्ट प्रस्तुत करने के लि ए कहा जाता है कि बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को सुधारा गया है। इस प्रकार सीबीपी का मार्गदर्शन संभावि त रूप से कंपनि यों को सुधारात्मक कार्यक्रमों और सुधारात्मक कार्य योजनाओं को वि कसि त करने के लि ए प्रोत्साहि त करता है जो सामाजि क लेखापरीक्षा के आधार पर हैं और यह बाद कई केस स्टडीज में भी स्पष्ट रूप से सामने आई। बदले में ऊपर वर्णि त सुधारात्मक उपायों की ऊपर से नीचे की प्रकृति को बनाए रखने का जोखि म भी सामने आता है।

3.42 सोशल ऑडि ट पर जोर देने से श्रमि कों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों, नागरि क समाज और अन्य हि तधारकों के साथ जुड़ाव के अन्य रूपों को छोड़कर यह प्रदर्शि त करने का जोखि म भी है कि बंधुआ मजदूरी के संकेतकों में सुधार कि या गया है। उदाहरण के लि ए, बहु-हि तधारक प्रक्रि याओं, लागू करने योग्य ब्रांड समझौतों, या कार्यकर्ता के नेतृत्व वाले सुधारात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से।

3.43 ऐसे संकेत हैं कि सीबीपी अधि क लचीला दृष्टि कोण अपनाने के लि ए तैयार है। उदाहरण के लि ए, सीबीपी ने कंपनी द्वारा कराए गए कमर्शि यल सोशल ऑडि ट के बजाय नागरि क समाज समूहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आयात प्रति बंध हटा दि या है। यह नाची एपेरेल्स और अन्नपूर्णा कार्पेट से जुड़े मामलों में स्पष्ट था। इन मामलों में, सीबीपी ने श्रमि कों के साक्षात्कार और नि रीक्षण रि पोर्ट के साथ नागरि क समाज संगठनों और ट्रेड यूनि यनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर इन कंपनि यों पर से आयात प्रति बंध हटा लि या। इसलि ए ये मामले बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के प्रयासों को दर्शा ने के लि ए कंपनी द्वारा कराए जाने वाले कमर्शि यल सोशल ऑडि ट का वि कल्प नजर आते हैं।

सुधार के उपायों के आसपास पारदर्शि ता और प्रभावी संचार की कमी है। यह नागरि क समाज की कंपनि यों को जवाबदेह ठहराने की क्षमता में बाधा डालता है और यह सुनि श्चि त करता है कि उपायों तक प्रभावी पहुंच प्रदान की जाए।

60 See, e.g., Human Rights Watch (November 2022) *Obsessed with Audit Tools, Missing the Goal*; European Center for Constitutional and Human Rights, Brot für die Welt, MISEREOR (2021) *Human rights fitness of the auditing and certification industry?*; Transparentem (2021) *Hidden Harm: Audit Deception in Apparel Supply Chains and the Urgent Case for Reform*; Clean Clothes Campaign (2019) *Fig Leaf for Fashion. How social auditing protects brands and fails workers*; SOMO (2022) *A piece, not a proxy: The European Commission's dangerous overreliance on industry schemes, multi-stakeholder initiatives, and third-party auditing in the Corporate Sustainability Due Diligence Directive*

61 See, e.g., The Edge Markets (2 November 2020) *Top Glove downgraded from A to D in social compliance audit — report*; Reuters (19 May 2021) *'Slavery' found at a Malaysian glove factory. Why didn't the auditor see it?*; Human Rights Watch (November 2022) *Obsessed with Audit Tools, Missing the Goal*

62 CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*

3. प्रमुख नि ष्कर्षों का सारांश

3.44 हि तधारक बताते हैं कि सीबीपी ने हाल के वर्षों में अपने संचार, खुलेपन और पारदर्शि ता के स्तर में सुधार के लि ए प्रयास कि ए हैं। हालाँकि , सुधार की प्रक्रि या काफी हद तक अपारदर्शी बनी हुई है। उदाहरण के लि ए, संक्षि प्त प्रेस वि ज्ञप्ति यों के अलावा, सीबीपी वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर और नि ष्कर्षों को संशोधि त करने या रद्द करने के अपने नि र्णयों के वि स्तृत और वि शि ष्ट कारणों का प्रचार नहीं करता है।

3.45 इसके अलावा, सीबीपी के लि ए कंपनि यों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या नि ष्कर्षों के जवाब में बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को सुधारनेया बंधुआ मजदूरी से मुक्ति की गवाही देती ऑडि ट रि पोर्ट और अन्य दस्तावेजों को प्रकाशि त करने लि ए क्या कार्रवाई की है। जबकि कुछ कंपनि यों ने अपनी ऑडि ट रि पोर्ट और सुधारात्मक कार्य योजनाओं के नि ष्कर्षों को सार्वजनि क करके सकारात्मक कदम उठाए हैं। बहुतों ने ऐसा भी नहीं कि या है।

3.46 कंपनि यों और सीबीपी से पारदर्शि ता की यह कमी, कंपनि यों के उपचारात्मक प्रयासों की पर्या प्तता की प्रभावी नि गरानी करने के लि ए नागरि क समाज की क्षमता में बाधा डालती है। यह वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर और नि ष्कर्षों को संशोधि त करने या रद्द करने के अपने नि र्णयों के लि ए सीबीपी को जि म्मेदार ठहराने की नागरि क समाज की क्षमता में भी बाधा डालता है।

3.47 कंपनि यां सीबीपी से अधि क पारदर्शि ता का भी लाभ उठा सकती हैं। हि तधारकों के अनुसार, जब कंपनि यों पर आयात प्रति बंध लगाया जाता है तो उन्हें अक्सर सीबीपी द्वारा सूचि त नहीं कि या जाता है, और सीबीपी कंपनि यों को वि स्तृत और वि शि ष्ट कारण नहीं बताता प्रवर्तन कार्रवाई करने का नि र्णय क्यों लि या है। हालांकि बड़ी कंपनि यों को सीबीपी के प्रवर्तन नि र्णयों के बारे में पता होने की संभावना है, कि न्तु छोटी और मध्यम आकार की कंपनि यों के साथ ऐसा नहीं होता है। यदि कि सी कंपनी को इस बात की जानकारी नहीं है कि वह आयात प्रति बंध के अधीन है, तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह कंपनी बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को दूर करने के लि ए कोई कार्रवाई करेगी। इसलि ए यह प्रभावि त अधि कार धारकों के लि ए सुधारात्मक उपायों के प्रावधान में तब तक की देरी का कारण बन सकता है, जब तक कंपनी को आयात प्रति बंध की सूचना नहीं मि ल जाती।

63 Specifically, companies reported that while CBP discloses the indicators of forced labour it identified, CBP does not disclose the basis for the identification of those indicators. For example, CBP might state that it identified indicators of debt bondage in a company's operations, but might not say specifically how that debt bondage manifests, or in what sites or locations the indicators of debt bondage were found to be present.

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

श्रमि कों, श्रमि कों के वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों और नागरि क समाज के लि ए

4.1 श्रमि कों, श्रमि कों के वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों और नागरि क समाज समूहों के लि ए, बंधुआ मजदूरी की स्थि ति में फंसे लोगों तक सुधार के लाभ पहुंचाना सुनि श्चि त करने के लि ए टैरि फ अधि नि यम तंत्र का अधि क प्रभावी ढंग से उपयोग करना जरूरी है। इसके लि ए नि म्नलि खि त कदम उठाए जा सकते हैं।

आयात प्रति बंध से जुड़ी याचि का सीबीपी में जमा करने पर वि चार करते समय श्रमि कों और अधि कार धारकों के साथ सार्थक रूप से परामर्श करें।

4.2 सीबीपी को याचि का प्रस्तुत करने से पहले श्रमि कों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों के साथ सार्थक परामर्श आवश्यक है ताकि यह सुनि श्चि त कि या जा सके कि संभावि त आयात प्रति बंध का अनुरोध श्रमि कों और अन्य अधि कार धारकों के हि तों के अनुरूप है। श्रमि कों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों के साथ पूर्व परामर्श यह पहचानने के लि ए भी महत्वपूर्ण है कि अधि कार धारक बंधुआ मजदूरी के कौन से उपायों से जुड़ना चाहते हैं।

सीबीपी याचि काओं में उन उपायों पर वि शि ष्ट सि फारि शें शामि ल होनी चाहि ए जो श्रमि कों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों को प्रदान की जानी चाहि ए।

4.3 आयात प्रति बंधों की याचि काओं में, जहां संभव हो, बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को दूर करने के लि ए संभावि त प्रयासों को भी संबंधि त कंपनी के लि ए सि फारि शों में शामि ल कि या जाना चाबि ए। इन सुधारों में प्रभावि त श्रमि कों और अधि कार धारकों के लि ए उपचार का प्रावधान शामि ल होना चाहि ए।

4.4 यूएनजीपी के अनुरूप, इन उपायों में वि त्तीय मुआवजे का प्रावधान, भर्ती शुल्क और खर्चों की प्रति पूर्ति (जहां प्रासंगि क हो), शारीरि क या मनोवैज्ञानि क पुनर्वा स, माफी, गैर-दोहराव की गारंटी, और नुकसान के अपराधि यों के लि ए कानूनी जवाबदेही शामि ल हो सकती है। इन उपायों को श्रमि कों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों और अन्य अधि कार धारकों के परामर्श से वि कसि त कि या जाना चाहि ए ताकि यह सुनि श्चि त कि या जा सके कि प्रस्तावि त सुधार श्रमि कों और अधि कार धारकों की जरूरतों और चि तं ाओं के अनरु प हैं और उनके द्वारा अनभु व कि ए गए नुकसान को ठीक करने में मदद कर सकते हैं।

4.5 याचि का में सुधार की दृष्टि से वि शि ष्ट सि फारि शों को शामि ल करने से कंपनी के साथ इसके बाद के जुड़ाव में सीबीपी को मार्गदर्शन करने में मदद मि ल सकती है, और कंपनी की सुधारात्मक कार्य योजना की पर्या प्तता का आकलन करने में मदद मि ल सकती है। सीबीपी को यह बताना वि शेष रूप से महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ता और अधि कार धारक क्या सुधार देखना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि सीबीपी के पास प्रत्येक कंपनी, उद्योग, या भौगोलि क क्षेत्र का उसी तरह गहन ज्ञान और वि शेषज्ञता होने की संभावना नहीं है, जि स तरह स्वयं श्रमि कों और अधि कार धारकों के पास होगी। इसलि ए श्रमि क और अधि कार धारक स्वयं यह आकलन करने के लि ए सबसे अच्छी स्थि ति में हैं कि क्या सुधार कि ये जाने चाहि ए, जि ससे उन्हें बंधुआ मजदूरी के अधीन होने के परि णामस्वरूप हुए नुकसान से पूरी तरह बाहर नि काला जा सके।

सुधार प्रक्रि या के दौरान सीबीपी के साथ सक्रि य रूप से जुड़ें

64 If the Petition relates to an entire industry, rather than an individual company, the Petition should specify what Remediation should be undertaken by individual companies to demonstrate that their products are not made with, or using, forced labour. For detailed guidance on how to draft a Petition to CBP, see: Human Trafficking Legal Center (2020) *Importing Freedom: Using the US Tariff Act to Combat Forced Labour in Supply Chains*

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

4.6 जहां जब एक कंपनी आयात प्रति बंध के जवाब में बंधुआ मजदूरी के सुधारात्मक संकेतकों के लि ए कदम उठाती है, श्रमि कों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों, नागरि क समाज संगठनों और अन्य हि तधारकों को उन प्रयासों का गंभीर रूप से आकलन करना चाहि ए और सीबीपी को उनके आकलन की सूचना देनी चाहि ए।

4.7 जहां संभव हो, इन आकलनों को श्रमि कों, श्रमि कों के वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों के परामर्श से वि कसि त कि या जाना चाहि ए ताकि कंपनी द्वारा वादा कि ए गए या प्रदान कि ए गए सुधारों (यदि कोई हो) की पर्या प्तता पर श्रमि कों के वि चारों को समझा जा सके।

4.8 यदि ऐसा मूल्यांकन संभव नहीं है (उदाहरण के लि ए, क्योंकि कंपनी अपने सुधारात्मक प्रयासों के बारे में पर्या प्त रूप से पारदर्शी नहीं है, श्रमि कों तक पहुंच संभव नहीं है, या कंपनी श्रमि कों, उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों, या नागरि क समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से जुड़ने को तैयार नहीं है) तो पारदर्शि ता और प्रकटीकरण की कमी को सीबीपी के साथ उठाया जाना चाहि ए।

सीबीपी के लि ए

4.9 रि पोर्ट का फोकस टैरि फ एक्ट की आयात प्रति बंध प्रणाली के संदर्भ में उपायों के प्रावधान पर है, न कि सीबीपी के आंतरि क तंत्र और प्रक्रि याओं पर। हालांकि , रि पोर्ट ने कुछ क्षेत्रों की पहचान की है जहां सीबीपी के दृष्टि कोण में सुधार कि या जा सकता है ताकि बंधुआ मजदूरी और अन्य हि तधारकों की स्थि ति में लोगों के लि ए बेहतर परि णाम सुनि श्चि त कि या जा सके। यहां यह तथ्य स्वीकार्य है कि उपाय का प्रावधान सीबीपी के वि शि ष्ट जनादेश के भीतर नहीं है, न ही टैरि फ एक्ट की कार्यप्रणाली इसका वि शि ष्ट उद्देश्य है।

बंधुआ मजदूरी संकेतकों के सुधार पर श्रमि कों और अन्य प्रभावि त अधि कारधारकों की समस्याओं के समाधान के प्रावधान पर अधि क जोर देने के साथ वि स्तृत मार्गदर्शन प्रकाशि त करें।

4.10 बंधुआ मजदूरी संकेतकों के सुधार पर श्रमि कों और अन्य प्रभावि त अधि कारधारकों की समस्याओं के समाधान के प्रावधान पर अधि क जोर देने के साथ वि स्तृत मार्गदर्शन प्रकाशि त करें।

- बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को सुधारे जाने या हटाए जाने का आंकलन करते समय सीबीपी द्वारा लागू साक्ष्य मानकों को स्पष्ट कि या जाना चाहि ए। वि शेष रूप से, सीबीपी को यह स्पष्ट करना चाहि ए कि क्या कंपनि यों को यह प्रदर्शि त करने की आवश्यकता है कि उन्होंने अपने संचालन में बंधुआ मजदूरी के जोखि म को पहचानने और कम करने के लि ए तंत्र स्थापि त कि या है, या उन्हें यह प्रदर्शि त करना चाहि ए कि अब कोई बंधुआ मजदूर नहीं है।

- वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या सूचना में संशोधन या वापसी की शर्त के रूप में कंपनि यों को प्रदर्शि त करना होगा:

  - श्रमि कों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों को पर्या प्त उपचार प्रदान कि या (न केवल वादा कि या गया);

  - कर्मचारि यों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों, श्रमि कों के वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों और/या अन्य प्रासंगि क नागरि क समाज समूहों के साथ कंपनी के सुधार संबंधी प्रयासों के नि योजन, वि कास और कार्या न्वयन में सार्थक रूप से संलग्नता रही; और

65 Compare, e.g., the language used in CBP's press release on CBP 3 June 2020 (*CBP Modifies Withhold Release Order on Imports of Tobacco from Malawi*) where CBP refers to a company's "*efforts to minimize* the risks of forced labor from its supply chain", and its statement on 3 February 2023 CBP (*CBP Modifies Finding on Sime Darby Berhad in Malaysia*), where it refers to evidence that the company concerned "*no longer produces*…products using forced labour" (emphasis added).

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

- सुधार की समग्र प्रक्रि या के संबंध में खुला और पारदर्शी रहा है (उदाहरण के लि ए, हि तधारकों के साथ सार्थक जुड़ाव के माध्यम से, लेखापरीक्षा रि पोर्ट और सुधारात्मक कार्य योजनाओं के प्रकाशन से)।

- स्पष्ट करें कि सीबीपी उद्योगों या भौगोलि क क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी के संकेतकों के सुधार का आकलन कैसे करेगा जहां बंधुआ मजदूरी के व्यापक और प्रणालीगत जोखि म हैं जो एक व्यक्ति गत कंपनी के नि यंत्रण से बाहर हो सकते हैं। यदि सीबीपी इन संदर्भों में एक अलग मानक लागू करेगा, तो सीबीपी को नि र्दि ष्ट करना चाहि ए कि यह कौन सा मानक लागू होगा, और कि न परि स्थि ति यों में।

सीबीपी की नि र्णय लेने की प्रक्रि या के दौरान कंपनी द्वारा अधि कृत सोशल ऑडि ट पर नि र्भरता कम करें।

4.11 कंपनि यों द्वारा प्रदान की गई सोशल ऑडि ट रि पोर्ट को सीबीपी द्वारा वि चार कि ए गए कई डेटा बि दं ओु ं में से एक होना चाहि ए। वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या नि ष्कर्षों को सशं ोधि त करने या रद्द करने का नि र्णय लेते समय, सीबीपी को वि भि न्न सूचना स्रोतों पर वि चार करना चाहि ए जि न्हें सामाजि क लेखापरीक्षा रि पोर्ट की तुलना में यदि अधि क नहीं, तो कम से कम समान महत्व तो दि या ही जाना चाहि ए। इस तरह की जानकारी में श्रमि कों के वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों और अन्य नागरि क समाज संगठनों से सीधे कार्यकर्ता की गवाही और प्रस्तुति याँ शामि ल हो सकती हैं।

4.12 वि शेष रूप से, वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या नि ष्कर्षों को संशोधि त करने या रद्द करने के लि ए कंपनि यों द्वारा याचि काओं पर वि चार करते समय सीबीपी को:

- कंपनि यों को बंधुआ मजदूरी से जुड़े संकेतकों में सुधार के साक्ष्य के वि वि ध स्रोत प्रदान करने की आवश्यकता है (यानी, केवल सोशल ऑडि ट रि पोर्ट न हो।) इसमें श्रमि कों या उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों से प्रत्यक्ष साक्ष्य और गवाही, या नागरि क समाज संगठनों या ट्रेड यूनि यनों की रि पोर्ट को शामि ल कि या जा सकता है।

- कंपनि यों के लि ए मार्गदर्शन प्रदान करें कि कैसे सीबीपी सोशल ऑडि ट की वि श्वसनीयता और स्वतंत्रता का आकलन करेगा। उदाहरण के लि ए इसमें एक स्वतंत्र और नि ष्पक्ष लेखा परीक्षक के चयन पर मार्गदर्शन, लेखापरीक्षा पद्धति और नि ष्कर्षों की पारदर्शि ता और प्रकटीकरण के संबंध में आवश्यकताएं, और श्रमि कों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों के साथ सार्थक जुड़ाव का प्रमाण शामि ल हैं।

हि तधारक जुड़ाव और संवाद में सुधार करें

4.13 When CBP imposes a WRO or Finding on a company, it should notify that company. CBP should also provide the company with its detailed and specific reasons why it has taken enforcement action. This should include not only a list of the indicators of forced labour identified by CBP, but also the specific factors that give rise to that indicator (in a way that protects the confidentiality of sources). जब सीबीपी कि सी कंपनी पर वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या नि ष्कर्षों के अनुरूप कार्रवाई करत है, तो उसे उस कंपनी को सूचि त करना चाहि ए। सीबीपी को कंपनी को इसके वि स्तृत और वि शि ष्ट कारण भी बताने चाहि ए कि उसने प्रवर्तन कार्रवाई क्यों की है। इसमें न केवल सीबीपी द्वारा पहचाने गए बंधुआ मजदूरी के संकेतकों की एक सूची शामि ल होनी चाहि ए, बल्कि उन वि शि ष्ट कारकों को भी शामि ल करना चाहि ए जो उस सूचक को जन्म देते हैं (एक तरह से जो स्रोतों की गोपनीयता की रक्षा करते हैं)।

4.14 सीबीपी को सुधार प्रक्रि या के दौरान हि तधारकों के साथ अपने सक्रि य जुड़ाव को भी व्यापक और बढ़ाना चाहि ए। वि शेष रूप से, जब सीबीपी कि सी कंपनी द्वारा आयात प्रति बंध को संशोधि त करने या रद्द करने के आवेदन पर वि चार कर रहा है, तो सीबीपी को कर्मचारि यों, ट्रेड यूनि यनों, श्रमि कों के वि श्वसनीय प्रति नि धि यों और अन्य नागरि क समाज समूहों के साथ कंपनी के उपचार की पर्या प्तता पर उनके वि चार जानने के लि ए सक्रि य रूप से संलग्न होना चाहि ए।

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

श्रमि कों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों के लि ए संभावि त प्रति कूल प्रभावों को रोकने या कम करने के लि ए आवश्यक होने पर अधि क लचीले प्रवर्तन वि कल्पों पर वि चार करें

4.15 It may be beneficial for CBP to have a more flexible range of options for the enforcement of import bans. Greater flexibility in enforcement options can help to avoid or mitigate potential adverse consequences for workers and other rights holders that may potentially arise from the immediate imposition of import bans. For example, in 2020 International Rights Advocates and the Corporate Accountability lab submitted a Petition to CBP calling for an import ban of cocoa products from Cote D'Ivoire. In the Petition, the petitioners called on CBP to compel US cocoa importers to submit satisfactory evidence that shipments of cocoa imported by them were not made with or using forced child labour within 180 days. सीबीपी के लि ए आयात प्रति बंधों को लागू करने के लि ए वि कल्पों की अधि क लचीली रेंज होना फायदेमंद हो सकता है। प्रवर्तन वि कल्पों में अधि क लचीलेपन से श्रमि कों और अन्य अधि कार धारकों के लि ए संभावि त प्रति कूल परि णामों से बचने या कम करने में मदद मि ल सकती है जो संभावि त रूप से आयात प्रति बंधों के तत्काल लागू होने से उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लि ए, 2020 में इंटरनेशनल राइट्स एडवोकेट्स और कॉरपोरेट एकाउंटेबि लि टी लैब ने कोटे डी आइवर से कोको उत्पादों के आयात पर प्रति बंध लगाने के लि ए सीबीपी को एक याचि का प्रस्तुत की। याचि का में, याचि काकर्ता ओं ने सीबीपी से अमेरि की कोको आयातकों को संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लि ए मजबूर करने के लि ए कहा कि उनके द्वारा आयात कि ए गए कोको का शि पमेंट 180 दि नों के भीतर या जबरन बाल श्रम के साथ नहीं कि या गया था।

4.16 It may be beneficial for CBP to have a more flexible range of options for the enforcement of import bans. Greater flexibility in enforcement options can help to avoid or mitigate potential adverse consequences for workers and other rights holders that may potentially arise from the immediate imposition of import bans. For example, in 2020 International Rights Advocates and the Corporate Accountability lab submitted a Petition to CBP calling for an import ban of cocoa products from Cote D'Ivoire. In the Petition, the petitioners called on CBP to compel US cocoa importers to submit satisfactory evidence that shipments of cocoa imported by them were not made with or using forced child labour within 180 days. सीबीपी के लि ए आयात प्रति बंधों को लागू करने के लि ए वि कल्पों की अधि क लचीली रेंज होना फायदेमंद हो सकता है। प्रवर्तन वि कल्पों में अधि क लचीलेपन से श्रमि कों और अन्य अधि कार धारकों के लि ए संभावि त प्रति कूल परि णामों से बचने या कम करने में मदद मि ल सकती है जो संभावि त रूप से आयात प्रति बंधों के तत्काल लागू होने से उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लि ए, 2020 में इंटरनेशनल राइट्स एडवोकेट्स और कॉरपोरेट एकाउंटेबि लि टी लैब ने कोटे डी आइवर से कोको उत्पादों के आयात पर प्रति बंध लगाने के लि ए सीबीपी को एक याचि का प्रस्तुत की। याचि का में, याचि काकर्ता ओं ने सीबीपी से अमेरि की कोको आयातकों को संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लि ए मजबूर करने के लि ए कहा कि उनके द्वारा आयात कि ए गए कोको का शि पमेंट 180 दि नों के भीतर या जबरन बाल श्रम के साथ नहीं कि या गया था।

4.17 महत्वपूर्ण रूप से, सीबीपी को अधि क लचीले प्रवर्तन वि कल्पों को तभी अपनाना चाहि ए जब श्रमि कों और अन्य अधि कार धारकों की सुरक्षा के लि ए आवश्यक हो। यह नि र्णय लेने में सीबीपी को श्रमि कों, श्रमि कों के वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, या ट्रेड यूनि यनों के कि सी भी नि वेदन पर ध्यान देना चाहि ए।

66 Corporate Accountability Lab (14 February 2020) *CAL and IR Advocates Challenge Importation of Cocoa Produced with Forced Child Labour*

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

आयात प्रति बंधों से प्रभावि त न्यायालयों में सरकारों के लि ए

बंधुआ मजदूरी के मूल कारणों को समझते हुए आयात प्रति बंधों के जवाब में बंधुआ मजदूरी के लि ए हुए उपायों का समर्थन करें

4.18 आयात प्रति बंधों से प्रभावि त न्यायक्षेत्र की सरकारों को इस बात पर वि चार करना चाहि ए कि वे बंधुआ मजदूरी के मूल कारणों को दूर करने के लि ए कानूनी और नीति गत सुधारों को लागू करने के साथ-साथ कानूनी रूप से अपने अधि कार क्षेत्र के तहत कंपनि यों की जांच करके कंपनी के प्रयासों में योगदान कर सकते हैं। इनमें वे कंपनि यां भी होंगी जो बंधुआ मजदूरी व अन्य मानवाधि कारों के हनन के लि ए जवाबदेह हैं।

4.19 मानव अधि कारों की अनि वार्यता से परे, आपर्तिू श्रंखृ लाओं में बधं आु मजदरू ी के पीछे के मलू कारणों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लि ए कॉर्पो रेट प्रयासों का समर्थन करने के लि ए सरकारों को आर्थि क प्रोत्साहन दि ए जाते हैं। बंधुआ मजदूरी के मूल कारणों को दूर करने के लि ए कार्रवाई करके, सरकार प्रमुख नि र्या त उद्योगों को भवि ष्य के आयात प्रति बंधों के जोखि म से बचाने में मदद कर सकती है। सरकार बदले में नौकरि यों और अर्थव्यवस्था की रक्षा करने में मदद करती है। ऐसे सुधारों में शामि ल हो सकते हैं:

- Ensuring that forced labour is effectively criminalised under domestic law, and that the legal definition of forced labour is aligned with the 1930 ILO Forced Labour Convention. यह सुनि श्चि त करना कि बंधुआ मजदूरी को घरेलू कानून के तहत प्रभावी रूप से अपराधीकृत कि या जाता है, और यह कि बंधुआ मजदूरी की कानूनी परि भाषा 1930 के अंतरराष्ट्रीय श्रमि क संगठन (आईएलओ) के बंधुआ मजदूरी सम्मेलन की मंशा के अनुरूप है।

- प्रवासी और गैर-प्रवासी श्रमि कों के लि ए समान अधि कारों की गारंटी देना - जि समें संघ की स्वतंत्रता, सामूहि क सौदेबाजी, मजदूरी और काम करने की स्थि ति शामि ल है।

- श्रम नि रीक्षकों को पर्या प्त रूप से संसाधन देना, और श्रम कानूनों, नीति यों और वि नि यमों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनि श्चि त करना।

- यह सुनि श्चि त करना कि प्रवासी श्रमि कों के लि ए श्रम और प्रवासन नीति यों में जबरन श्रम, तस्करी और शोषण के जोखि म को कम करने के लि ए सुरक्षा उपाय हैं (उदाहरण के लि ए, भर्ती शुल्क लेने पर प्रति बंध, कर्मचारी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लि खि त रोजगार अनुबंध के प्रावधान की आवश्यकताएं , नि योक्ताओं द्वारा पासपोर्ट और दस्तावेज़ प्रति धारण पर रोक लगाना, और श्रमि कों को स्वतंत्र रूप से नि योक्ता बदलने की अनुमति देना)।

- यह सुनि श्चि त करना कि श्रमि कों और प्रवासी श्रमि कों की प्रभावी शि कायत तंत्र (राज्य-आधारि त, गैर-राज्य आधारि त, न्यायि क और गैर-न्यायि क प्रणालि यों सहि त) तक पहुंच हो।

नि जी क्षेत्र के लि ए

सुधार प्रक्रि याओं के नि योजन, वि कास और कार्या न्वयन में श्रमि कों और नागरि क समाज के साथ सार्थक रूप से संलग्न हों

4.20 सुधार के लि ए कंपनि यों के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लि ए श्रमि कों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों, नागरि क समाज और अन्य हि तधारकों को प्रक्रि या के सभी चरणों में सार्थक रूप से शामि ल करने की आवश्यकता है। इसलि ए कंपनि यों को यह सुनि श्चि त करना चाहि ए कि कर्मचारि यों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों, नागरि क समाज और अन्य संबंधि त हि तधारकों को सुधार प्रक्रि याओं के नि योजन, वि कास, कार्या न्वयन और नि गरानी में सार्थक रूप से परामर्श दि या जाए।

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

4.21 डि डं ीगलु समझौते जसै ी बहु-हि तधारक पहलें इस बात का उदाहरण प्रस्ततु करती हैं कि लि गं और जाति -आधारि त भेदभाव जैसे सामाजि क-आर्थि क कारकों और एक तरह से गहन रूप से उलझे हुए और जटि ल मुद्दों से नि पटने के लि ए एक रचनात्मक दृष्टि कोण को कैसे लागू कि या जा सकता है जो सीधे तौर पर कर्मचारि यों की जरूरतों और इच्छाओं के प्रति उत्तरदायी है। वे कं पनी की आपर्ति ू श्रखंृ ला में मानवाधि कारों के मुद्दों के समाधान के लि ए कॉर्पो रेट प्रशासन परि वर्तन, प्रशि क्षण और क्षमता नि र्मा ण, संघ की स्वतंत्रता की गारंटी, और शि कायत तंत्र तक बेहतर पहुंच के संयोजन के माध्यम से बहु-स्तरीय दृष्टि कोण का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं।

सुधार के लि ए एक अधि कार-आधारि त दृष्टि कोण अपनाएं, न कि अनुपालन-आधारि त दृष्टि कोण

4.22 कंपनि यों को लंबे समय में जोखि म और अनुपालन-संचालि त मानसि कता से दूर जाकर और सुधार के लि ए कर्मचारि यों को कंपनी के दृष्टि कोण के केंद्र में रखने वाला मानवाधि कार-आधारि त दृष्टि कोण अपनाने से लाभ होगा। दूसरे शब्दों में, कंपनि यों को अधि कार धारकों को होने वाले नुकसान की पहचान करने और समझने की कोशि श करनी चाहि ए। साथ ही ऐसे नुकसान के कारण, प्रभावि त लोगों को उस प्रभाव से बाहर नि कालने के तरीके और उस नुकसान की गैर-दोहराव की गारंटी के लि ए आवश्यक उपाय करने चाहि ए।

4.23 इस तरह के दृष्टि कोण से एक समग्र और दीर्घकालि क समाधान प्राप्त होने की अधि क संभावना है। इससे भवि ष्य में बंधुआ मजदूरी के जोखि मों को काफी हद तक कम करने की संभावना है। जो कंपनि याँ उपायों के लि ए 'टि क बॉक्स' या अनुपालन-संचालि त दृष्टि कोण अपनाने का वि कल्प चुनती हैं, उन्हें यह पता चल सकता है कि वे बंधुआ मजदूरी के मूल कारणों की ठीक से पहचान करने और उनका समाधान करने में वि फल रही हैं, जि ससे उन्हें भवि ष्य में प्रवर्तन कार्रवाई के लि ए उजागर कि या जा सके।

सुधार प्रक्रि या में अपस्ट्रीम कंपनि यों को शामि ल करें

4.24 अंतर्रा ष्ट्रीय कंपनि यों, खरीदारों और ब्रांडों को अपने आपूर्ति कर्ता ओं द्वारा कि ए गए उपचारात्मक प्रयासों का समर्थन करना चाहि ए। यदि कि सी अंतर्रा ष्ट्रीय कंपनी के आपूर्ति कर्ता को आयात प्रति बंध प्राप्त होता है, तो अंतर्रा ष्ट्रीय कंपनी को तुरंत 'काटने और चलाने' से बचना चाहि ए - वि शेष रूप से यदि आपूर्ति कर्ता सुधार करने के लि ए तैयार है। इसके बजाय, अंतर्रा ष्ट्रीय कंपनी को अपने उत्तोलन का उपयोग करना चाहि ए और अपने उपचारात्मक प्रयासों में आपूर्ति कर्ता की मदद करने के लि ए अपने संसाधनों की पेशकश करनी चाहि ए।

4.25 यदि कोई खरीदार आयात प्रति बंध के कारण आपूर्ति कर्ता के साथ अपने संबंध समाप्त करने का नि र्णय लेता है, तो खरीदार को यह सुनि श्चि त करना चाहि ए कि वह जि म्मेदारी से और इस तरह से अलग हो जाए जो श्रमि कों और अधि कार धारकों के लि ए संभावि त प्रति कूल प्रभावों को कम करता हो।

For the European Commission

4.26 सि तंबर 2022 में, यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ (ईयू) के बाजार में बंधुआ मजदूरी से बने उत्पादों को प्रति बंधि त करने के लि ए एक वि नि यमन प्रस्ताव प्रकाशि त कि या। हालांकि प्रस्तावि त वि नि यमन सीधे तौर पर टैरि फ अधि नि यम पर आधारि त नहीं है, कि न्तु रि पोर्ट के नि ष्कर्ष यूरोपीय संघ के नीति नि र्मा ताओं के लि ए सीधे प्रासंगि क हैं क्योंकि वे प्रस्तावि त वि नि यमन का पथ प्रशस्त करते हैं।

4.27 प्रस्तावि त संस्तुति यों के लि ए संस्तुति यों का एक वि शद समूह यहां उपलब्ध है। कि न्तु संक्षेप में प्रस्तावि त वि नि यमन कहता है:

67 European Commission (2022) COM(2022) 453 *Proposal for a regulation on prohibiting products made with forced labour on the Union market*

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

A. यह सुनि श्चि त करें कि सक्षम प्राधि कारी नि र्णय लेने की प्रक्रि या के दौरान श्रमि कों, ट्रेड यूनि यनों और नागरि क समाज सहि त हि तधारकों के साथ सार्थक परामर्श में संलग्न हों - न कि केवल आर्थि क संचालकों के साथ।

B. कंपनी द्वारा कराए गए 'सोशल ऑडि ट' पर प्राथमि क सबूत के रूप में स्वीकार्यता की नि र्भरता को कम करें।

C. कंपनि यों के लि ए कि सी भी प्रकार के 'सुरक्षि त बंदरगाह' की पेशकश सि र्फ उनकी उचि त परि श्रम प्रक्रि याओं की स्पष्ट पर्या प्तता के आधार पर न की जाए।

D. सुनि श्चि त करें कि कर्मचारि यों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों के लि ए उपायों तक पहुंच (जैसा व्यापार और मानवाधि कारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सि द्धांतों में परि भाषि त है) को प्रवर्तन उपायों को हटाने की शर्त के रूप में प्रदान कि या गया है।

E. केवल उन आर्थि क संचालकों पर ध्यान केंद्रि त नहीं करना चाहि ए जो बंधुआ मजदूरी के प्रवर्तक हैं, बल्कि इस आधार पर पर जांच को प्राथमि कता दी जानी चाहि ए कि आर्थि क संचालक कि स हद तक बंधुआ मजदूरी का कारण बने हैं, उसमें योगदान दि या है या उसका लाभ उठाया है।